संख्या–298 / VI-2 / 2014–5(9)2008 भाग– ।। टी.सी.

प्रेषक,

शैलेश बगौली,
प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संस्कृति, पर्यटन एवं खेलकूद अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांक 31 मार्च, 2015

विषयः– विभिन्न कीडा संघों एवं क्लबों आदि को प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु अनुदान प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–944 / प्र0की0सं0अनु0पत्रा0 / 2014–15 / दे0दून दिनांक 24.11.2014, संख्या–1201 / प्र0की0सं0अनु0पत्रा0 / 2014–15 दिनांक 04.02.2015 एवं मा. खेल मंत्री जी द्वारा दिये गये निर्देशों के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पूर्व में विभिन्न कीडा संघों एवं क्लबों आदि को प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से आपके निर्वतन पर आयोजनेत्तर पक्ष में उपलब्ध करायी गयी धनराशि ₹4.00 लाख से निम्न क्रीड़ा संघों / संस्थाओं को उपलब्ध कराये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

क्र.स.	संघ / संस्था / क्लब आदि का नाम	प्रयोजन	धनराशि
1.	हल्द्वानी फुटबॉल यूनाइटेड सोसाइटी, हल्द्वानी।	द्वितीय हाईलैण्डर्स कप ऑल इण्डिया फुटबॉल टूर्नामेन्ट, हल्द्वानी।	₹1.50 लाख
2.	इक्वीनोक्स हैल्थ केयर प्राइवेट लि. देहरादून	राज्य स्तरीय बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप 2015	₹0.50 लाख
3.	श्री अनुज सिंह, हरिद्वार।	खेल उपकरण क्रय हेतु आर्थिक सहायता	₹1.00 लाख
4.	उत्तराखण्ड कराटे–डो फेडरेशन, देहरादून।	खेल उपकरण क्रय हेतु आर्थिक सहायता	₹1.00 लाख

3. उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबंध मे साथ स्वीकृत की जाती है कि मित्व्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय, साथ ही जिन मदों के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय करने के पूर्व शासन / संबंधित अधिकारी की स्वीकृति भी अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। मदवार व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों एवं अन्य संगत प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा वास्तविक व्यय के आधार पर ही आहरण / व्यय किया जाय।

4. उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। योजना संबंधी शासनादेश संख्या–408 / VI-I / 2009, दिनांक 30 नवम्बर, 2009 एवं इस विषय पर समय–समय पर जारी अन्य दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा समिति के सम्मुख प्रस्ताव रखते समय प्राथमिकताओं को भी इंगित करते हुए अनुमोदन प्राप्त किया जाय।

C:\Documents and Settings\A\Desktop\2014-15\Sport\Budget\G.O..doc

5. धनराशि उसी मद में व्यय की जाय जिसके लिए स्वीकृत की जा रही है। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा, ऐसा व्यय सम्बन्धित अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। स्वीकृत धनराशि के व्यय के विवरण शासन तथा महालेखाकार को नियमित रूप से भेजें।

6. उक्त अनुदान के सम्बन्ध में वित्तीय हस्तपुस्तिका (खण्ड–5) भाग–1 के अध्याय –16–क–अनुच्छेद–369 के सुसंगत प्राविधानों उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली एवं अनुदान सम्बन्धी विद्यमान अन्य संगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

7. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 के अनुदान संख्या–11 के लेखाशीर्षक–2204–खेल कूद तथा युवा सेवायें–00–104–खेलकूद के अन्तर्गत–12–प्रदेशीय क्रीड़ा संघों, क्लबों एवं अन्य क्रीड़ा संघों आदि को प्रतियोगिताओं के आयोजन करने एवं खेलकूद उपस्कर क्रय हेतु अनावर्तक अनुदान–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता मद के आयोजनेत्तर पक्ष के नामें डाला जायेगा।

भवदीय,

(शैलेश बगौली)
प्रभारी सचिव

पृष्ठांकन संख्या–298/VI-2/2015–5(9)/2008 भाग–2 टी0सी0 तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड, ओबराय बिल्डिंग, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 खेल मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3. जिलाधिकारी, देहरादून/नैनीताल/हरिद्वार।
4. वित्त अधिकारी, साइबर कोषागार, देहरादून।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
6. बजट राजकोषीय संसाधन निदेशालय, देहरादून।
7. सम्बन्धित संस्था/क्लबों एवं संघों को।
8. एन0आई0सी0, सचिवालय, देहरादून।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण सिंह)
संयुक्त सचिव।